



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur-ri@gov.in वेब-साईट <https://urban.rajasthan.gov.in/joda> Phone No. 0291-261206/261301 / Fax 0291-261206

✓ क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2023/ 1245

दिनांक :: 11/9/23

श्रीमती संजु देवी पत्नी श्री भानाराम,
निवासी-814, रामनगर, झालामण्ड, जोधपुर

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 34 रकबा 03.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 34 रकबा 03.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 21/2023 वीं बैठक दिनांक 29.08.2023 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 12 मीटर पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएं।
2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाएं।
3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाएं।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाएं।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाएं।
7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जाएं।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत

भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले-आउट प्लान की चार प्रतियां बिन्दुवार पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

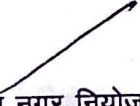

11/09/2023

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
दिनांक ::

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2023/

प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. उपायुक्त (जोन-2), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।


उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण

SCALE: - 1" = 50'



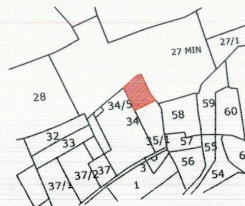
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	3385.33	58.29 %
PARK AREA	400.82	06.90 %
M.T. & S.W. AREA	40.36	00.69 %
ROAD AREA	1981.49	34.12 %
TOTAL SCHEME AREA	5808.00	100.00 %
Area in Bigha = 03 Bigha		

KEY - PLAN



KHASRA MAP

NOT TO SCALE



10/10/2020
 28/11/20
 1) जो लोकोट दिनांक 21-6-22 को पालना में पत्रक
 पाया- 34 पत्रक नंबर 34
 03 नंबर के 03 पत्रक को प्रत्युत
 जोरफाल को नकली इकाई 34 नंबर का जारी प्रमाणित
 नक्शा P-35 कडक 99 दिनांक 21/3/22 को प्रमाण
 कर सीमाओं को लाल रंगीन में दर्शाया गया।
 जाकर सुपर इन्वेंट्री नकली सत्यापन किया गया।

दिनांक 17/7/23

निरीक्षक (मुख.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dix (P) | Zone-02 | 293 | 02/01/2024

प्रश्न संख्या 12 :-		VSA Q.12 :- Zone-02 / 293 02/01/2024			
प्रश्न दिनांक	जोन	प्रारम्भ समय	समाप्त समय	रकबा	प्रोजेक्ट
29.08.2023	जोन-2	आठवां घण्टा	34	03.00.00 मीथा	आवासीय योजना
आवेदक	भीमती राजेंद्र ऐनो ऐनी भीमनाथ				
विषय-	प्रत्यक्ष जल आपातकाल के कारण संख्या 34 रकबा 03.00.00 मीथा में आवासीय योजना प्रोजेक्टनर्न अनुमोदन समक्ष।				
निर्णय-	समिति द्वारा एकादेश व मसाली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श परपत्र निर्मातिसहित तालों के साथ से-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	1. आवेदित पत्रों की 2010 अनुमोदित योजना में से 12 मीटर पट्टा मार्ग उपलब्ध हो है जिसकी सुविधिताता जोन स्तर पर की जावे। 2. टारनसिफि पॉलिसी 2010 के प्रावधानों धृम निगजो को सुविधता रखते हुए सतिफि के आवासीय का समेत करते हुए से-आउट प्लान तारी किया जावे। 3. टारनसिफि पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना अविरत रखर पर सुविधिता की जावे। 4. योजना का क्षेत्रक 2 एडो से कम है, आठ मीटर में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पाई की मूधि पर Overhead Water Tank का निर्माण विधिवत पंजीयति में जोन उपजुस्त का निर्देश अधिमजिती को सार्वजनिक उपकरण विभाग किया जा रहेकत। 5. पुन्युधनीय नदी प्रमाणित योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 एडो से कम क्षेत्रक की योजना में निगमपुरा विभाग योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुपात में जल संचयन कर पर की जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार निगमपुरा नगरपालिका मेयरडैंड टॉवर एंड ड्रेस कवर प्रमाणित रखर का प्रावधान किया जावे। 7. निगमपुरा नगरपालिका विकास कार्य की एजुन में किये योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बरतार मुख्यधृम प्लान के 34 रकबा है जिसको जमानसिफि कक्षा पूर्व होने की सुविधिताता के उपरान्त जल संचयन कर किया जायेकत। 8. अनुमोदित निगमपुरा नगरे पर सिमिकेकलन उपरान्त की मुख्यधृम के बेमन और की सुविधिताता प्रमर्त जारी की जावे। 9. उक्त प्रस्तावित मूधि से सम्बन्धित आथ जल प्रदायन, पाइप, वातपि एव सिमिकलन हक की समस्त जिम्मेदारी मूधि की स्वयं की जावे। प्रमर्त से हक बन्दा समूह-अथ जिस जल सि प्रमर्त मूधि पर कोई सिमिद नही है और जो की व्यावसाय में कोई सिमिद लायिफ है। हक बन्दा जल संचयन कर पर सत्ता-एथ क्षेत्रक की पट्टन जारी की जावे। 10. प्रस्तावित मूधि पर निर्णय कार्य करणसे से मूधि प्रस्तावित मल निगिनम अनुसार जोनपुर विकास प्रमिशनर से मल मण्डित अनुमोदित करण हो।				

संजु

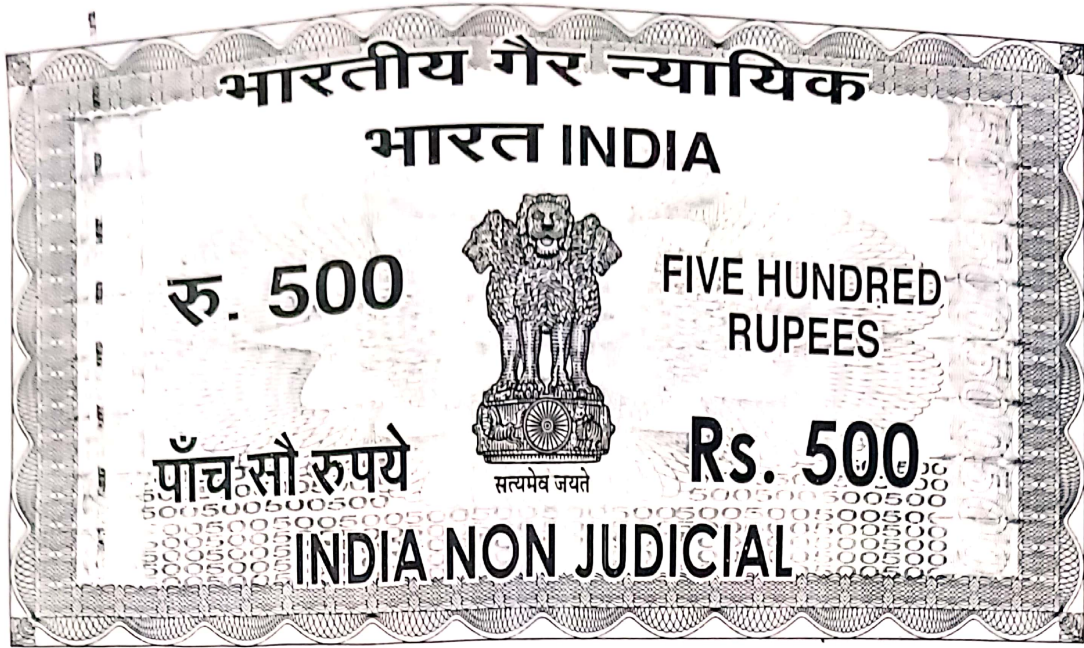
5141023

SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH./2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

१५
न्यायुक्त (जोन-२)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

22/09/2020
अप बजट निर्धारण
ओद्यपूर विकास प्राधिकरण
ओद्यपूर



राजस्थान RAJASTHAN

AC 791630

रहन नामा (Mortgage Deed)

रहन नामा एक लिख देते है मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन प्रा.लि जरिये डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री करण सिंह जी निवासी ग्राम उचियारड़ा जिला व तहसील जोधपुर शोध पूर्वक बयान करता हु कि जिन्हे आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

बहक

सचिव जोधपुर/विकास प्राधिकरण जोधपुर जिन्हे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तैयार कर देता हु कि :-

1. यह है की प्रथम पक्षकारान की खरीद सुदा कृषि भूमि खसरा नं. 34 कुल खसबा 03.00.00 बीघा ग्राम झालामण्ड जिला व तहसील जोधपुर में आयी हुई है।
2. यह है की उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट दिनांक 29.08.23 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90-A की कार्यवाही दिनांक 02.08.23 को पूर्ण हो चुकी है।

NOTARY JODHPUR
13/01/24

ANILSURANA
ADVOCATE
JODHPUR (RAJ.)
EXPIRY DATE
08/12/2029
भर्जुन पवार
कनिष्ठ सहायक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

नाम मुद्रांक क्रिया की नतीजा सुनिश्चित करने हेतु 12/01/24
रजि. क्रम संख्या 7791, दिनांक 12/01/24, राशिया 500

मुद्रांक द्रोता का नाम आशापूर्णा विल्डकीम प्रा. लि. जयपुर, जयपुर, जयपुर
पता गाम. डचिथारडा, जोधपुर

प्रयोजन बदलना

(हस्तांतरण के लिए) जयपुर, जयपुर

क्रेता/हस्तांतरण 85

क्रेता स्थान: जयपुर, जयपुर, जयपुर

राजस्थान सरकार के अन्तर्गत	
राजस्थान सरकार के अन्तर्गत	
1. आयाज (राजस्थान सरकार)	500
2. राशि	1000
3. राशि	1500
हस्ताक्षर	

3. यह है की टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिककार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूमि द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है इस आवासीय कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन उक्त विकास करने के लिए प्रतिबंध हु अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी भुगतान को तैयार हु उक्त समयवधि में आंतरिक विकास नहीं करने पर भूखंडों को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।

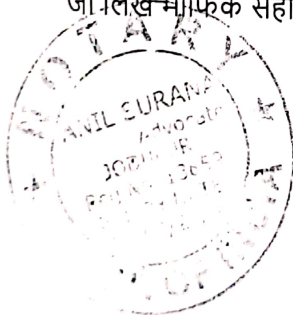
4. यह है की उक्त खसरा न. 34 के अनुमोदित ले -आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखंड का विवरण निम्न है

क्र. स	भूखंड संख्या	भूखंडों का क्षेत्रफल
1	भूखंड संख्या : 6	431.67 वर्ग गज
2	भूखंड संख्या : 9	

5. यह है की उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखंडों को हम प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी या निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के बाद 12.5 % भूखंडों के अंतर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे है।

6. यह की उक्त भूखंडों को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिए रहन रखा गया है। जो आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के सहित द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात 12.5 % भूखंडों के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकार रहेंगे।

लिहाजा ये रहनामा प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के हक में राजी खुशी अकल होशियारी से बिना नशे पते और बिना किसी दबाव को पढ़ कर सुनकर निष्पादित कर दिया गया है। जो लिखे माफिक सही है व समझ है तथा वक्त जरूरत काम आवे।



[Signature]
अर्जुन पंवार
कनिष्ठ सहायक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

[Signature]
हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

ATTESTED
NOTARY JODHPUR
13/01/24